

२७/२/१८ वकील वारीगण उपस्थित वदस सुची
जई। पचावली वास्तु निर्णय दिनांक
२४/२/१८ को पेश हो।

२४/२/१८ वकील वारीगण उपण पचावली का
अवलोकन किया गया। बाद वारीगण
मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया
जाता है। विल्टव निर्णय अलग से
लिखवाया जाकर शामिल फाइल किया
गया। पचावली नम्बर से काम की
जाकर बाद तारीख तकमील जाब्ता
दाखिल दाखल हो। आदेश बस स्टेशनवाले
सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :- प्रकरण संख्या 350 सन् 2017

1. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण।

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तरो देवी पत्नी स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रेणू पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. मंजू पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी अमित जाति जाट निवासी बारेकां तहसील व जिला फाजिल्का। (पंजाब)
6. रानी पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :-

1. श्रीमति शकुंतला भाटीवाल। अभिभाषक वादीगण।
2. श्री राजेन्द्र मक्कासर। अभिभाषक प्रतिवादीगण।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक :- 28/02/18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने 13.09.2017 को विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार के लिए पंजीकृत एवं प्रमाणिक पता वाद के शीर्षक में दर्ज अनुसार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त रूप से खेती करते है। आज से 4 वर्ष पूर्व पिता के इत्काल के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौका पर भूमि का हक व हिस्सानुसार अर्थात् 1/4 हिस्सा अनुसार अलग-अलग घराघरू बंटवारा कर लिया। करीब 45 वर्ष पूर्व जब वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 5 के पति व पिता स्व. वेदप्रकाश नाबालिग अवस्था में थे, उस समय पूर्वज जोतराम गांव मक्कासर में आकर रहने लगे थे और यहां आकर कृषि भूमि काश्त करने लगे। पूर्व में पूर्वज जोतराम पुत्र मनीराम ग्राम दौलतपुरा जिला श्रीगंगानगर में निवास करते थे। 50 वर्ष पूर्व ही वहां से जोतराम ने अपनी पैतृक भूमि हिस्सा ठेका पर देकर परिवार सहित गांव मक्कासर में आकर रिहायश की और यहीं पर धीरे-धीरे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से भूमि खरीद कर ली लेकिन जोतराम द्वारा पैतृक भूमि हिस्सा ठेका पर देने के बाद उसकी आय से मक्कासर में खरीदशुदा भूमि स्वयं के नाम से नहीं खरीदकर अपने नाबालिग पुत्रों वेदप्रकाश, विनोद कुमार, सुरेन्द्र कुमार, कृष्ण कुमार के नाम से खरीद की और इनका नामान्तरण भी खरीददार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुआ है। वेदप्रकाश की मृत्यु के बाद उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। स्व. जोतराम ने भूमि खरीद करते वक्त अपने चारों पुत्रों के नाम से बहिस्सा बराबर भूमि खरीद करने की बजाय जैसे-जैसे भूमि की सुविधा उपलब्ध होती रही, वैसे-वैसे कृषि भूमि अपने बड़े पुत्रों के नाम से खरीद की और बाद में वादीगण के नाम से खरीद की, उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती चली गई लेकिन खरीदशुदा भूमि चारों पुत्रों के लिए पैतृक भूमि थी जो कि दौलतपुरा की भूमि की आय से खरीद की गई थी इसलिए मक्कासर की भूमि भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के लिए पैतृक भूमि की हैसियत से बहिस्ससा बराबर औद हुई लेकिन राजस्व रिकार्ड में खरीद के हिसाब से समयानुसार अलग-अलग कम-ज्यादा दर्ज हो गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व स्व. वेदप्रकार के नाम से खरीदशुदा

64

लगातार 2

भूमि इस प्रकार है कि तहसील हनुमानगढ़ चक 4 एसटीजी के खाता सं. 11/13 प.नं. 99/272 (36) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/273(43) किला नं. 4, 5 की 0.506 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 99/273(44) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कुल तादादी 2.277 हैक्टर जिसमें स्व. वेदप्रकाश प्रतिवादी नं. 2 ता 5 का पति व पिता का 50 हिस्सा, वादी संख्या 1 विनोद कुमार का 30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 145/135 प.नं. 99/272(36) किला नं. 203/.253 हैक्टर, प.नं. 99/274(44) किला नं. 4/1, 4/2 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता व कुआ, कुल तादादी 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता 133/124 प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/1, 3/1, 10/1 की 0.165 हैक्टर वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से दर्ज है। खाता संख्या 134/125 प.नं. 99/273(44) किला नं. 18/.114, 21/.177, 22/.126, 23, 24, 25 प्रत्येक 0.253 कुल 1.176 हैक्टर, प.नं. 99/274(50) किला नं. 4, 5, 7, 14, 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टर 19/1/.215, 22/.253 कुल 1.733 हैक्टर कुल तादादी 2.909 हैक्टर जिसमें वादी संख्या 1 विनोद कुमार की 0.481 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 क्रमशः संतरो, रेणु, सुमन व मंजू के नाम से 0.480 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 100/272(35) किला नं. 16/.202, 17/.013, 23/.025, 24/.228, 25/.253 कुल 0.721 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प. नं. 100/273(45) किला नं. 2/2/.063, 3/2/.189, 4, 5, 8, 9 प्रत्येक 0.253, 10/2/.063 कुल 1.327 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 99/274(50) किला नं. 1/.139, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 प्रत्येक 0.253, 19/2/.038, 20, 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.960 हैक्टर, प.नं. 98/274(51) किला नं. 6/.215, 15, 16 प्रत्येक 0.253, 24/1/.047, 25/.253 कुल 1.021 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 98/275(60) किला नं. 2, 3 प्रत्येक 0.253 मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/277(72) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला, कुल तादादी 8.559 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का 1.877, वादी संख्या 1 का 2.529 हैक्टर व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 23/23 प.नं. 99/273 (44) किला नं. 7/.253 वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 99/272(36) किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प. नं. 98/272(37) किला नं. 4, 5, 6, 7, प्रत्येक 0.253 कुल 1.012 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/272(38) किला नं. 2 ता 9 प्रत्येक 0.253 कुल 2.024 हैक्टर, कुल तादादी 5.060 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 64/64 प.नं. 98/270(25) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 97/270(26) किला नं. 12 ता 14, 17, 18, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.277 हैक्टर, प.नं. 97/271(27) किला नं. 2 ता 9, 12 ता 14, 18, 19 प्रत्येक 0.253 है. कुल 3.289 हैक्टर अनकमाण्ड कुल तादादी 6.325 हैक्टर अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार का 4.048 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 66/56 प.नं. 97/271(27) किला नं. 25/.253, प.नं. 98/271(28) किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.518 हैक्टर मय गै. मु. खाला कुल तादादी 2.530 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 152/141 प.नं. 98/270(25) किला नं. 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर, प.नं. 99/273(44) किला नं. 16/.253, 17/.228 कुल 0.481 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कुल तादादी 1.493 हैक्टर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अलावा पूर्व में खरीदशुदा भूमि में से विनोद कुमार वादी संख्या 1 द्वारा भूमि दलीपसिंह को विक्रय की गई जो कालान्तर में 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी रानी देवी के नाम से खरीद की लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं हुई है जिसमें मौका पर प.नं. 98/274(51) किला नं. 5/.152, 7/.101, 8/.240, 13/.089, 14/.240, 17, 18 प्रत्येक 0.253, 19/.126, 21/.177, 22/.253, 23/.253, 24/2/.206 कुल 2.343 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दलीपसिंह के नाम से दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी लेकिन बैयनामा वर्ष 2013-14 में अपनी पत्नी के नाम से करवाया तथा उक्त भूमि भी पैतृक भूमि की विक्रय प्रतिफल राशि से खरीद की। अभी तक इसका नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार समस्त कृषि भूमि 100 बीघा यानि 25.300 हैक्टर कृषि भूमि है। समस्त जमाबन्दीयों की सत्यप्रतियां हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त पैरा में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से 14-1 बीघा दर्ज है जबकि वादी संख्या 1 के नाम से 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था, इसी तरह वादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में 18-4 बीघा भूमि दर्ज है जबकि 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या

लगातार 3

1 के नाम से 25-5 बीघा भूमि दर्ज है तथा उसकी पत्नी के नाम से खरीदशुदा भूमि 9 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कुल 34-10 बीघा कृषि भूमि दर्ज है, जबकि 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिए थी जो कि 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मृतक पति व पिता के नाम से 33-6 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि इनके नाम भी 25 बीघा यानि 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये थी जबकि इनके नाम 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त 100 बीघा कृषि भूमि को जरिये दुरुस्ती बहिस्सा बराबर 1/4-1/4 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। इन खरीदशुदा भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 5 के पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम अलग-अलग नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उनकी सत्यप्रतिलिपियां हमराह दावा प्रस्तुत है। समस्त नामान्तरण यह दर्शाते हैं कि वरवक्त भूमि खरीद के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 5 के पति व पिता स्व. वेदप्रकाश नाबालिग थे और उनकी स्वयं की आय के स्रोत नहीं है। समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के लिए पैतृक की श्रेणी में आती है लेकिन वरवक्त खरीद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग व कम-ज्यादा दर्ज हो गई जबकि समस्त कृषि भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। मौका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/4 हिस्सा अनुसार ही काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और बदयान्तिपूर्वक वे अपने नाम दर्ज भूमियों अनुसार मौका पर दखलंदाजी कर काबिज होना चाहते हैं और प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से मिलकर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में भूमियों का कम-ज्यादा के अंकन को दुरुस्त करवाया जाकर प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया जावे लेकिन प्रतिवादीगण किसी तरह से राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने के लिए तैयार नहीं हुए जबकि वादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 4 एसटीजी की राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 अपने 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 2 अपने 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने 1/4 हिस्सा व 2 ता 5 व उनके पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम से दर्ज कृषि भूमि में उनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार है और भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रत्येक बहिस्सा बराबर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा बार-बार वादीगण की भूमि में की जा रही दखलंदाजी व उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में अधिक भूमि दर्ज होने का डर दिखाकर वे प्रतिदिन वादीगण से तनाजा रखते हैं और भूमि को हक व हिस्सा अनुसार और मौका पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाने से इन्कार कर रहे हैं। इस हेतु वादीगण ने पिछले सप्ताह ग्राम में मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों के समक्ष बैठ कर पंचायत की और सहमति के अनुसार हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाकर बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने किसी भी तरह से वादीगण की बात मानने से इन्कार कर दिया। यह बिनाय मुख्यास्मत है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं समुचित न्याय शुल्क पर वादकारण से अंदर मियाद प्रस्तुत है। वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज कुल 100 बीघा अर्थात् 25.300 हैक्टर कृषि भूमि जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा दर्ज है, को दुरुस्त कर समस्त के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे, प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अधिक कृषि भूमि को दुरुस्त कर वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.10.2017 को वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया कि तहसील हनुमानगढ़ चक 4 एसटीजी के खाता सं. 11/13 प.नं. 99/272 (36) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/273(43) किला नं. 4, 5 की 0.506 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 99/273(44) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कुल तादादी 2.277 हैक्टर जिसमें स्व. वेदप्रकाश प्रतिवादी नं. 2 ता 5 का पति व पिता का 50 हिस्सा, वादी संख्या 1 विनोद कुमार का 30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 145/135 प.नं. 99/272(36) किला नं. 203/.253 हैक्टर, प.नं. 99/274(44) किला नं. 4/1, 4/2 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता व कुंआ, कुल तादादी 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता 133/124 प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/1, 3/1, 10/1 की 0.165 हैक्टर वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से दर्ज है। खाता संख्या 134/125 प.नं. 99/273(44) किला नं. 18/.114, 21/.177, 22/.126, 23, 24, 25 प्रत्येक 0.253 कुल 1.176 हैक्टर, प.नं. 99/274(50) किला नं. 4, 5, 7, 14, 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टर 19/1/.215, 22/.253 कुल 1.733 हैक्टर कुल तादादी 2.909 हैक्टर जिसमें वादी संख्या 1 विनोद कुमार की 0.481 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 क्रमशः संतरो, रेणु, सुमन व मंजू के नाम से 0.480 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 100/272(35) किला नं. 16/.202, 17/.013, 23/.025, 24/.228, 25/.253 कुल 0.721 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प. नं. 100/273(45) किला नं. 2/2/.063, 3/2/.189, 4, 5, 8, 9 प्रत्येक 0.253, 10/2/.063

GA

लगातार 4

कुल 1.327 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 99/274(50) किला नं. 1/.139, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 प्रत्येक 0.253, 19/2/.038, 20, 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.960 हैक्टर, प.नं. 98/274(51) किला नं. 6/.215, 15, 16 प्रत्येक 0.253, 24/1/.047, 25/.253 कुल 1.021 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 98/275(60) किला नं. 2,3 प्रत्येक 0.253 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/277(72) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला, कुल तादादी 8.559 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का 1.877, वादी संख्या 1 का 2.529 हैक्टर व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 23/23 प.नं. 99/273(44) किला नं. 7/.253 वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 99/272(36) किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 98/272(37) किला नं. 4, 5, 6, 7, प्रत्येक 0.253 कुल 1.012 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/272(38) किला नं. 2 ता 9 प्रत्येक 0.253 कुल 2.024 हैक्टर, कुल तादादी 5.060 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 64/64 प.नं. 98/270(25) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 97/270(26) किला नं. 12 ता 14, 17, 18, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.277 हैक्टर, प.नं. 97/271(27) किला नं. 2 ता 9, 12 ता 14, 18, 19 प्रत्येक 0.253 है। कुल 3.289 हैक्टर अनकमाण्ड कुल तादादी 6.325 हैक्टर अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार का 4.048 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 66/56 प.नं. 97/271(27) किला नं. 25/.253, प.नं. 98/271(28) किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. खाला कुल तादादी 2.530 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 152/141 प.नं. 98/270(25) किला नं. 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर, प.नं. 99/273(44) किला नं. 16/.253, 17/.228 कुल 0.481 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कुल तादादी 1.493 हैक्टर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अलावा पूर्व में खरीदशुदा भूमि में से विनोद कुमार वादी संख्या 1 द्वारा भूमि दलीपसिंह को विक्रय की गई जो कालान्तर में 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी रानी देवी के नाम से खरीद की लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं हुई है जिसमें मौका पर प.नं. 98/274(51) किला नं. 5/.152, 7/.101, 8/.240, 13/.089, 14/.240, 17, 18 प्रत्येक 0.253, 19/.126, 21/.177, 22/.253, 23/.253, 24/2/.206 कुल 2.343 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दलीपसिंह के नाम से दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी लेकिन बैयनामा वर्ष 2013-14 में अपनी पत्नी के नाम से करवाया तथा उक्त भूमि भी पैतृक भूमि की विक्रय प्रतिफल राशि से खरीद की। अभी तक इसका नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार समस्त कृषि भूमि 100 बीघा यानि 25.300 हैक्टर कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से 14-1 बीघा दर्ज है जबकि वादी संख्या 1 के नाम से 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था, इसी तरह वादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में 18-4 बीघा भूमि दर्ज है जबकि 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 25-5 बीघा भूमि दर्ज है तथा उसकी पत्नी के नाम से खरीदशुदा भूमि 9 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कुल 34-10 बीघा कृषि भूमि दर्ज है, जबकि 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिए थी जो कि 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के मृतक पति व पिता के नाम से 33-6 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि इनके नाम भी 25 बीघा यानि 6.325 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये थी जबकि इनके नाम 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। इन खरीदशुदा भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 5 के पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम से अलग-अलग नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। वरवक्त भूमि खरीद के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 5 के पति व पिता स्व. वेदप्रकाश नाबालिग थे और उनकी स्वयं की आय के स्रोत नहीं थे जिस कारण समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वरवक्त खरीद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग व कम-ज्यादा दर्ज हो गई जबकि समस्त कृषि भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। मौका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/4 हिस्सा अनुसार ही काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज नहीं है जिसे वादीगण पंचायती राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने हेतु सहमत है। इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत निवेदन किया गया है कि चक 4 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ की राजीनामा में वर्णित 25.300 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 का 3.982 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व उनके पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम से दर्ज कृषि भूमि में उनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 6 का चक 4 एसटीजी के खाता संख्या 65/58 प.नं. 98/274(51) में 2.343 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

लगातार 5

वाद की ताईद में वादीगण द्वारा प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 एसटीजी सम्वत् 2073-2076 बहक औमप्रकाश आदि व बहक सन्तरो देवी व बहक कृष्ण कुमार व बहक सुरेन्द्र कुमार व बहक दिलीपसिंह व इन्तकाल संख्या 141, 28, 22, 85, 91, 92, 94, 186, 213, 234, 32, 30 आदि, पहचान पत्र विनोद कुमार, कृष्ण कुमार व फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 14.02.2013, फोटोप्रति आधारकार्ड सुरेन्द्र कुमार, सन्तरोदेवी, रेणु, सुमन, मंजूरानी आदि पेश किये गये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त वाद वादी मुताबिक राजीनामा काबिल अन्तिम डिक्री है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ चक 4 एसटीजी के खाता सं. 11/13 प.नं. 99/272 (36) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/273(43) किला नं. 4, 5 की 0.506 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 99/273(44) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कुल तादादी 2.277 हैक्टर जिसमें स्व. वेदप्रकाश प्रतिवादी नं. 2 ता 5 का पति व पिता का 50 हिस्सा, वादी संख्या 1 विनोद कुमार का 30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 145/135 प.नं. 99/272(36) किला नं. 23/253 हैक्टर, प.नं. 99/274(44) किला नं. 4/1, 4/2 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता व कुआ कुल तादादी 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता 133/124 प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/1, 3/1, 10/1 की 0.165 हैक्टर वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से दर्ज है। खाता संख्या 134/125 प.नं. 99/273(44) किला नं. 18/.114, 21/.177, 22/.126, 23, 24, 25 प्रत्येक 0.253 कुल 1.176 हैक्टर, प.नं. 99/274(50) किला नं. 4, 5, 7, 14, 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टर 19/1/.215, 22/.253 कुल 1.733 हैक्टर कुल तादादी 2.909 हैक्टर जिसमें वादी संख्या 1 विनोद कुमार की 0.481 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 क्रमशः संतरो, रेणु, सुमन व मंजू के नाम से 0.480 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 100/272(35) किला नं. 16/.202, 17/.013, 23/.025, 24/.228, 25/.253 कुल 0.721 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/2/.063, 3/2/.189, 4, 5, 8, 9 प्रत्येक 0.253, 10/2/.063 कुल 1.327 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 99/274(50) किला नं. 1/.139, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 प्रत्येक 0.253, 19/2/.038, 20, 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.960 हैक्टर, प.नं. 98/274(51) किला नं. 6/.215, 15, 16 प्रत्येक 0.253, 24/1/.047, 25/.253 कुल 1.021 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 98/275(60) किला नं. 2, 3 प्रत्येक 0.253 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/277(72) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला, कुल तादादी 8.559 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का 1.877, वादी संख्या 1 का 2.529 हैक्टर व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 23/23 प.नं. 99/273 (44) किला नं. 7/.253 वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 99/272(36) किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 98/272(37) किला नं. 4, 5, 6, 7, प्रत्येक 0.253 कुल 1.012 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/272(38) किला नं. 2 ता 9 प्रत्येक 0.253 कुल 2.024 हैक्टर, कुल तादादी 5.060 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 64/64 प.नं. 98/270(25) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 97/270(26) किला नं. 12 ता 14, 17, 18, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.277 हैक्टर, प.नं. 97/271(27) किला नं. 2 ता 9, 12 ता 14, 18, 19 प्रत्येक 0.253 है. कुल 3.289 हैक्टर अनकमाण्ड कुल तादादी 6.325 हैक्टर अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार का 4.048 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 66/56 प.नं. 97/271(27) किला नं. 25/.253, प.नं. 98/271(28) किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. खाला कुल तादादी 2.530 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 152/141 प.नं. 98/270(25) किला नं. 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर, प.नं. 99/273(44) किला नं. 16/.253, 17/.228 कुल 0.481 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कुल तादादी 1.493 हैक्टर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अलावा पूर्व में खरीदशुदा भूमि में से विनोद कुमार वादी संख्या 1 द्वारा भूमि दलीपसिंह को विक्रय की गई जो कालान्तर में 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी रानी देवी के नाम से खरीद की लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं हुई है जिसमें मौका पर प.नं. 98/274(51) किला नं. 5/.152, 7/.101, 8/.240, 13/.089, 14/.240, 17, 18 प्रत्येक 0.253, 19/.126, 21/.177, 22/.253, 23/.253, 24/2/.206 कुल 2.343 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दलीपसिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार समस्त कृषि भूमि 100 बीघा

(क)

यानि 25.300 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 का 3.982 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व उनके पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम से दर्ज कृषि भूमि में उनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 6 का चक 4 एसटीजो के खाता संख्या 65/58 प.नं. 98/274(51) में 2.343 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बाद रहनमुक्त अमलदरामद किया जावे।

पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाका दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक १४/१२/१८ को बसरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण।

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तरो देवी पत्नी स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी चक 4 एसटीजी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रेणु पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. मंजू पुत्री स्व. वेदप्रकाश पुत्र स्व. जोतराम पत्नी अमित जाति जाट निवासी बारेकां तहसील व जिला फाजिल्का। (पंजाब)
6. रानी पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. जोतराम जाति जाट निवासी जोतराम की ढाणी, चक 4 एसटीजी, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट बाबत।
प्रकरण संख्या 350 सन् 2017

निर्णय दिनांक 28/2/18



आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री शकुंतला भाटीवाल व श्री राजेन्द्र मक्कासर अभिभाषक प्रतिवादीगण तथा तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद-वादीगण मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ चक 4 एसटीजी के खाता सं. 11/13 प.नं. 99/272 (36) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, प.नं. 98/273(43) किला नं. 4, 5 की 0.506 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 99/273(44) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कुल तादादी 2.277 हैक्टर जिसमें स्व. वेदप्रकाश प्रतिवादी नं. 2 ता 5 का पति व पिता का 50 हिस्सा, वादी संख्या 1 विनोद कुमार का 30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 145/135 प.नं. 99/272(36) किला नं. 23/.253 हैक्टर, प.नं. 99/274(44) किला नं. 4/1, 4/2 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता व कुआ कुल तादादी 0.506 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता 133/124 प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/1, 3/1, 10/1 की 0.165 हैक्टर वादी संख्या 1 विनोद कुमार के नाम से दर्ज है। खाता संख्या 134/125 प.नं. 99/273(44) किला नं. 18/.114, 21/.177, 22/.126, 23, 24, 25 प्रत्येक 0.253 कुल 1.176 हैक्टर, प.नं. 99/274(50) किला नं. 4, 5, 7, 14, 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टर 19/1/.215, 22/.253 कुल 1.733 हैक्टर कुल तादादी 2.909 हैक्टर जिसमें वादी संख्या 1 विनोद कुमार की 0.481 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 क्रमशः संतरो, रेणु, सुमन व मंजू के नाम से 0.480 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 100/272(35) किला नं. 16/.202, 17/.013, 23/.025, 24/.228, 25/.253 कुल 0.721 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 2/2/.063, 3/2/.189, 4, 5, 8, 9 प्रत्येक 0.253, 10/2/.063 कुल 1.327 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 99/274(50) किला नं. 1/.139, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 प्रत्येक 0.253, 19/2/.038, 20, 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.960 हैक्टर, प.नं. 98/274(51) किला नं. 6/.215, 15, 16 प्रत्येक 0.253, 24/1/.047, 25/.253 कुल 1.021 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 98/275(60) किला नं. 2,3 प्रत्येक 0.253 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/277(72) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 है0

Ca

लगातार 2

मय गै.मु. खाला, कुल तादादी 8.559 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का 1.877, वादी संख्या 1 का 2.529 हैक्टर व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 23/23 प.नं. 99/273 (44) किला नं. 7/.253 वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। खाता संख्या 24/25 प.नं. 99/272(36) किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर मय गै.मु. खाला रास्ता, प.नं. 98/272(37) किला नं. 4, 5, 6, 7, प्रत्येक 0.253 कुल 1.012 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 97/272(38) किला नं. 2 ता 9 प्रत्येक 0.253 कुल 2.024 हैक्टर, कुल तादादी 5.060 हैक्टर मय गै.मु. मुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 64/64 प.नं. 98/270(25) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 97/270(26) किला नं. 12 ता 14, 17, 18, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.277 हैक्टर, प.नं. 97/271(27) किला नं. 2 ता 9, 12 ता 14, 18, 19 प्रत्येक 0.253 है. कुल 3.289 हैक्टर अनकमाण्ड कुल तादादी 6.325 हैक्टर अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार का 4.048 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 66/56 प.नं. 97/271(27) किला नं. 25/.253, प. नं. 98/271(28) किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर, प.नं. 98/272(37) किला नं. 1, 2, 3, 8 ता 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.518 हैक्टर मय गै.मु. खाला कुल तादादी 2.530 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 152/141 प.नं. 98/270(25) किला नं. 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर, प.नं. 99/273(44) किला नं. 16/.253, 17/.228 कुल 0.481 हैक्टर मय गै.मु. खाला, प.नं. 100/273(45) किला नं. 19, 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर कुल तादादी 1.493 हैक्टर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अलावा पूर्व में खरीदशुदा भूमि में से विनोद कुमार वादी संख्या 1 द्वारा भूमि दलीपसिंह को विक्रय की गई जो कालान्तर में 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी रानी देवी के नाम से खरीद की लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज नहीं हुई है जिसमें मौका पर प.नं. 98/274(51) किला नं. 5/.152, 7/.101, 8/.240, 13/.089, 14/.240, 17, 18 प्रत्येक 0.253, 19/.126, 21/.177, 22/.253, 23/.253, 24/2/.206 कुल 2.343 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दलीपसिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार समस्त कृषि भूमि 100 बीघा यानि 25.300 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 का 3.982 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व उनके पति व पिता स्व. वेदप्रकाश के नाम से दर्ज कृषि भूमि में उनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा यानि 6.325 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 6 का चक 4 एसटीजी के खाता संख्या 65/58 प.नं. 98/274(51) में 2.343 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बाद रहनमुक्त अमलदरामद किया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी-प्रतिवादीगण स्वयं अपना-अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 28/2/18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़